सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट
असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 846 राँची, मंगलवार, 22 अक्टूबर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

17 अक्टूबर, 2019

संख्या-5/आरोप-1-487/2014-26306 (HRMS)-- श्री पवन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-663/03, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन अंचल अधिकारी, तरैया, छपरा (बिहार) के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-18933, दिनांक 12.12.2013 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-112, दिनांक 14.11.2012 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध श्री महावीर राय, चौकीदार को सेवानिवृति के बाद भी वेतन का भुगतान कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-2979, दिनांक 25.04.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी,, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-58, दिनांक 26.06.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण विभागीय पत्रांक-4657, दिनांक 26.05.2014 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3130, दिनांक 16.03.2017 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य

उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-7763, दिनांक 05.07.2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-367, दिनांक 22.12.2017 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसकी समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2817(hrms), दिनांक 28.11.2018 श्री कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(iii) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-412, दिनांक 12.02.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया । श्री कुमार द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि-

"चौकीदारों को सरकार द्वारा दि० 01.01.1990 से चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषित किया गया । जहाँ तक इन्हे स्मरण है कि कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचनाओं को अंकित कर बिना जन्म तिथि के विवरण के साथ सेवापुस्त खोला गया था। मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित जन्म तिथि का प्रमाण पत्र किस पत्र के द्वारा अंचल कार्यालय, तरैया को प्राप्त हुआ, यह साक्ष्य नहीं है । यह स्पष्ट नहीं है कि इनके कार्यकाल में मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर सेवापुस्त में जन्म तिथि अंकित किया गया है, क्योंकि इनका अथवा इनके कार्यकाल के किसी भी प्रधान सहायक/सहायक का हस्ताक्षर मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र में अंकित नहीं है । उपलब्ध कराये गये सेवापुस्त के छायाप्रति में दर्ज जन्म तिथि के लिखावट में कुछ अन्तर है । प्रतीत होता है कि इनके कार्यकाल के उपरान्त सेवापुस्त में जन्म तिथि अंकित किया गया है ।

स्व० महाबीर राय, चौकीदार के सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.1999 निर्धारित करने के संबंध में चौकीदार के नियुक्ति पदाधिकारी तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सरण (छपरा) का कोई आदेश पत्र भी प्राप्त नहीं था ।" श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव-बयान में श्री कुमार द्वारा स्वीकार किया गया है कि कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचनाओं को अंकित कर सेवापुस्त खोला गया था । श्री महाबीर राय, चौकीदार, थाना-इसुआपुर, अंचल-तरैया के उम्र निर्धारण हेतु मेडिकल बोर्ड के द्वारा दि० 24.07.1996 को जांच कर उम्र 55 वर्ष निर्धारित किया गया था, जबकि श्री राय द्वारा अपनी उम्र 50 वर्ष बतलाया गया था । मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त निर्धारित उम्र सेवापुस्त में दर्ज किया गया, जैसा कि छायाप्रति में दीख रहा है।.उक्त बचाव-बयान से स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी के समक्ष श्री कुमार द्वारा अपने कार्यकाल में ही मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर सेवापुस्त में जन्म तिथि अंकित करने की बात स्वीकार की गई है, जबकि अपील अभ्यावेदन में अपने कार्यकाल के उपरान्त सेवापुस्त में जन्म तिथि अंकित करना उल्लेखित किया गया है, जो विरोधाभाष है । पुनः श्री राय की सेवापुस्त श्री कुमार के कार्यकाल में ही खोली गयी है और यदि श्री राय की जन्म तिथि ज्ञात नहीं थी तो उक्त

संबंध में उनके द्वारा कृत कार्रवाई के संबंध में कोई तथ्य अपील अभ्यावेदन में समर्पित नहीं किया गया ।

अतः श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iii) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत रखा जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	PAWAN KR. BHR/BAS/3117	श्री पवन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-663/03, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन अंचल अधिकारी, तरैया, छपरा (बिहार) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iii)के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 846 -- 50